प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 10.02.2026

नगर निकाय के वार्ड गठन/परिसीमन की प्रक्रिया

- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद्, खगौल (जिला पटना) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन एवं संख्यांकन (परिसीमन) की प्रक्रिया दिनांक 01.01.2026 से प्रारंभ है। इस संबंध में वार्ड गठन/परिसीमन के दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि 03.02.2026 तक निर्धारित थी। जिसके उपरांत कुल **328** (324 ऑनलाइन, 04 ऑफलाइन) दावा/आपत्ति प्राप्त हुई। कुल **328** प्राप्त दावा/आपत्तियों का निष्पादन निर्धारित अंतिम तिथि 07.02.2026 तक कर दिया गया है। जिसके उपरांत अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन दिनांक 25.02.2026 तक किया जाना है।

क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद्, खगौल (जिला पटना) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन की कार्यक्रम विवरणी :

- आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपत्ति की प्राप्ति : 09.02.2026 से 12.02.2026 तक
- वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राप्त सीमित आपत्ति के साथ प्रोविजनल नक्शा का प्रेषण एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अंतिम अनुमोदन : 16.02.2026 से 20.02.2026 तक
- अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन : 25.02.2026 तक।

➢ राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद, खगौल के सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे वार्ड गठन की इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नंबर 1800-3457-243 पर कॉल करके वार्ड गठन संबंधी जानकारी/सूचना/सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

10/2/26

उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार